

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट - बडलाउगम लाल पिता नन्दा गुर्जर
निवासी- भगवानपुरा(डाई का खेडा)बनाम काना पिता घीसु गुर्जर वगैराह
निवासी- चतरपुरा

किस्म मुकदमा- वादपत्र अन्तर्गत धारा- 88, 188, 53, 54 रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या- 219/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2018	<p>पत्रावली आज केम्प कोर्ट बडला पर पेश हुई। वादी उगमलाल स्वयं उपस्थित हुआ। वादी उगमलाल ने न्यायालय के समक्ष जाहिर किया कि सिविल कोर्ट से हमारी वसीयत खारिज हो चुकी है।</p> <p>मैंने वादी को सूना तथा पत्रावली का अध्ययन किया। चूंकि वादी के द्वारा यह वादपत्र श्रीमति अलौली बेवा उदा गुर्जर के द्वारा उगमलाल के पक्ष में करवाई गई, रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.11.2006 के आधार पर अपने नाम हक घोषणा करवाने का प्रस्तुत किया गया है। आज वादी उगमलाल ने स्वयं जाहिर किया है कि वसीयत दिनांक 10.11.2006 को सिविल न्यायालय ने खारिज कर दी है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में वाद हेतुक ही समाप्त हो जाता है। लिहाजा इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर बन्द की जाती है। पत्रावली शूमार फौसल होकर दाखिल दफतर करें। आदेश आज दिनांक 04.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट बडला पर सूनाया गया।</p> <p>(नन्दकिशोर रजोरा) सहायक कलक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा</p>	